माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in **website:** www.mpbse.nic.in
☎कार्या.–(0755) 2551166–71, फैक्स.–(0755) 2554398, 2552061

:: संशोधित विज्ञप्ति ::

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म0प्र0 के आदेश क्रमांक एफ–44–19/2016/20–2 भोपाल, दिनांक 26.08.2016 के अनुसार प्रदेश में शिक्षण सत्र 2016–17 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको की गणना हेतु बेस्ट फाईव पद्धति अपनाई जाये, जिसके अर्न्तगत जिन 06 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ली जाती है उन में से जिन 05 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक हो, परीक्षा की गणना हेतु उन 05 विषयों के अंको को ही लिया जाये।

हाईस्कूल (9वीं, 10वीं) में छः विषय–प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित होंगे। परीक्षाफल बेस्ट फाइव पद्धति से अर्थात जिन 05 विषयों में अधिकतम अंक होंगे उनको महायोग में सम्मिलित करके परीक्षाफल घोषित किया जावेगा परन्तु पांच विषयों में (सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/प्रोजेक्ट) में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। छटवा विषय जिसमें सबसे न्यूनतम अंक होंगे, की गणना महायोग में नहीं की जावेगी। छटवें विषय के अंक, अंकसूची में मात्र प्रदर्शित किये जावेंगे एवं इस विषय में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य नहीं होगा।

1. हाईस्कूल परीक्षा में छात्र 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि किसी भी एक विषय मे अनुत्तीर्ण होता है तो "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत छात्र का परीक्षा परिणाम जिन पांच विषयों में पास है, के आधार पर घोषित किया जायेगा।
2. यदि छात्र दो विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र को दो विषयों में पूरक की पात्रता होगी और दोनों विषयों में या किसी एक विषय में हाईस्कूल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
3. यदि छात्र तीन विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।
4. 06 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 05 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर "बेस्ट फाइव" के तहत् उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो ऐसे छात्र आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु नियमित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।
5. बेस्ट फाइव पद्धति के तहत् यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
6. "बेस्ट फाइव" पद्धति के अन्तर्गत दो या अधिक विषयों में समान अंक होने पर "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम में सम्मिलित विषयों का क्रम भाषा समूह में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा एवं कोर विषयों गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान रहेगा। भाषा ग्रुप में से एक और कोर विषयों में से एक विषय में समान अंक प्राप्त होने पर कोर विषय को परीक्षा परिणाम में सम्मिलित कर "बेस्ट फाइव" पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम एवं श्रेणी का निर्धारण पांच विषयों के आधार पर किया जावेगा।

7. किसी विषय में अनुपस्थित छात्र का परीक्षा परिणाम उस विषय में अनुत्तीर्ण मानकर "बेस्ट फाइव" विषयों के अंकों के आधार पर घोषित किया जावेगा।

8. "बेस्ट फाइव" पद्धति के अन्तर्गत महायोग में शामिल न होने वाले विषय के सम्मुख **#** अंकित किया जायेगा एवं अंकसूची में निम्नानुसार नोट प्रदर्शित किया जायेगा।

नोट – परीक्षा परिणाम "बेस्ट फाइव" पद्धति पर तैयार किया गया है परीक्षा परिणाम में **#** से दर्शाये गये विषय के अंको को महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

पृ.क्रमांक / 1707 / विद्योचित / 2018 — भोपाल, दिनांक 27 / 01 / 2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3– संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4– अपर परियोजना संचालक,राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान, म0प्र0 भोपाल।
5– परीक्षा नियंत्रक / सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0,भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6– समस्त पंजीयक / सहायक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– निज सचिव, अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8– समस्त–संयुक्त संचालक,स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी,म0प्र0।
10– समस्त–प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय संस्थायें, म0प्र0।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल